

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)(1)/289/92/अलेसे -III/9047-51

दिनांक :- 09.07.2015

कार्यालय आदेश

श्री मेवाराम बुगालिया, कनिष्ठ लेखाकार को विभागीय आदेश संख्या 6343-51 दिनांक 18.09.2014 द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर निर्वाह भत्ते के रूप में निलम्बन अवधि में वेतन का 50 प्रतिशत भुगतान करने के आदेश प्रसारित किये गये थे।

श्री मेवाराम बुगालिया, कनिष्ठ लेखाकार के निलम्बन को 6 माह पूर्ण होने पर उनके आवेदन एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना, डीडवाना जिला नागौर से प्राप्त पत्र क्रमांक 2948 दिनांक 09.06.2015 के मद्देनजर राजस्थान सेवा नियम 53(1)(a)(i) के अनुसरण में वर्तमान में मिल रहे निर्वाह भत्ते में 50 प्रतिशत वृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

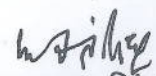

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)(1)/289/92/अलेसे -III/9047-51

दिनांक :- 09.07.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषालय, अजमेर।
2. श्री मेवाराम बुगालिया, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, अजमेर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
4. उपनिदेशक कम्प्यूटर शाखा को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)